

5.6.18

दस्तावेजों के अन्तर्गत देवली पर पेश
अपीलाया गया उपारिपत्र ॥ प्रतिवादी २००१
अनुपारिपत्र ॥

शंकाही

शब्द



कि शब्द

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि
अपीलाया २००१ व २ के पिता अपीलवादी २००३
के पिता मोंग पुन देवली की मूल्य दिनांक २५
२५.४.१८ को ही नये पश्चात उन के
नाम की मूमि अपीलवादी ने नामान्तरण
शिवलावा नये हेतु आवेदन ग्राम पंचायत पर
से पेश किया गया तो ग्राम पंचायत ने
नामान्तरण सं. १७७५ दिनांक ३.१२.१६
को शिवला जा कर नामान्तरण शिवला
वादी किया गया है जब की हम वारेमान
के अलावा ग्राम देवली के आ. नं ३१५
३१६, ३५६, ३५७, ३६०, ३०. नं ३५४, ३५९
को ही नये है अतः हम वारेमान के
ग्राम राजरव रेवाड में अंयन करे।

सद्वारी हलवा से कबल के रूप
रिपोर्ट मोंगवाड मई जिरम में अपीलवादी
ही मोंग के वारेमान है

अपील अपीलवादी के रिपोर्ट पत्र
का अवलोकन किया गया मोंग के वारेमान
अपीलाया है

अतः

अपीलाया मोंग की अपील शिवलावा
की जा कर लहसीलवा के आदेश
दिये जाते हैं कि ग्राम देवली के आ. नं
३१५, ३१६, ३५६, ३५७, ३६०, ३५४, ३५९
में मोंग की मूल्य के पश्चात अपीलवादी
शिवला शधा पुनी मोंग, श्रीमती सापरी
कलती मोंग जाट नि. देवली का
नाम राजरव रेवाड में अंयन
करे।

आज दिनांक ३०.६.२०१९ को लोक
अदालत के कार्यवाही के दौरान देवकी पर श्री
श्रीमान श्रीमान श्रीमान /
पुत्रावली केराला शुमार होकर
नम्बर अ काम है



मजिस्ट्रीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
हमीरगढ़